महत्वपूर्ण

संख्या–1008/9–2–2000–57(15)/2000

प्रेषक,

जे0एस0 मिश्र,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
3. मुख्य नगर अधिकारी, समस्त नगर निगम, उ0प्र0।
4. महाप्रबन्धक समस्त जलसंस्थान, उ0प्र0।
5. अध्यक्ष, समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–2 लखनऊ दिनांकः 6 सितम्बर, 2000

विषयः– **गृहकर/जलकर/सीवर कर में छूट किया जाना।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारापरांत यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी चैरिटेबल सार्वजनिक संस्थायें जो गैर व्यावसायिक हैं, जो महिला संरक्षण ग्रहों, विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों, मूक बधिक तथा अन्य विकलांग व्यक्तियों भिखारियों, निःसहाय वृद्ध एवं अपाहिज व्यक्तियों के उत्थान के लिए सेवारत हों तथा कुष्ठ रोगियों व शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए सेवारत चिकित्सालय, अनाथालय चैरिटेबल शैक्षणिक संस्थाओं एवं आध्यात्मिक/धार्मिक संस्थाओं पर स्थानीय निकायों द्वारा नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 173 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 128 तथा उ0प्र0 जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1957 की धारा 52 के अन्तर्गत लगाये जाने वाले करों यथा गृहकर, जलकर व सीवर कर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाये। उक्त छूट उन्हीं चैरिटेबल संस्थाओं को अनुमन्य होंगी जिन्हें आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80–जी के अन्तर्गत छूट प्राप्त हों।

.....2/–

2. उक्त के अतिरिक्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे भू–गृहादि का उनके भाग जो केवल सार्वजनिक पूजा स्थल, कब्रिस्तान, शमशान, मजार अनाथालय, धर्मशाला जो बिना किसी भेदभाव के यात्रियों को निःशुल्क ठहराती हों, गौशाला, पड़ाव व पंजीकृत पुस्तकालय इत्यादि संस्थाओं को स्थानीय निकाय/ जल संस्थानों द्वारा उपर्युक्त वर्णित अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत लगाये जाने वाले करों से पूर्णतया मुक्त रखा जाये किन्तु उक्त संस्थाओं द्वारा यदि जल संयोजन लिया गया हो तो उनसे जल के वास्तविक उपयोग के आधार पर केवल जलमूल्य ही लिया जाये।

3. कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

ह0/अस्पष्ट
जे0एव0 मिश्र
सचिव

पृ0सं0व दिनांक सदैव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0

आज्ञा से
ह0/अस्पष्ट
(एन0एस0 रवि)
विशेष सचिव

पृ0 सं0 व दिनांक सदैव

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री नगर विकास के मा0 राज्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिस को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क उ0प्र0 को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
6. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।

ह0/अस्पष्ट
(एन0एन0 रवि)
विशेष सचिव

संख्या–943 / नौ–2–2006–4 नियम / 06

प्रेषक,

अमल कुमार वर्मा,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त महाप्रबन्धक,
जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 18 जूलाई, 2006

विषयः– जलमूल्य के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1080 / नौ–2–98–57(106) / 91, दिनांक 29–09–98 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर–3 में जलमूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था थीः–

प्रत्येक वर्ष जल के उत्पादन की मूल्य में वृद्धि को देखते हुए 01.01.99 के उपरान्त प्रत्येक वर्ष जलमूल्य में 7.5 प्रतिशत वृद्धि की जाये। इस प्रकार पहली वृद्धि 01.01.2000 को की जाये।

2– शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त जलमूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में अब निम्न व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(1) जलमूल्य में प्रत्येक वर्ष की जा रही 7.5 प्रतिशत वृद्धि के स्थान पर प्रत्येक 03 वर्ष के बाद जलमूल्य में 5 प्रतिशत की वूद्धि की जाय इस प्रकार पहली वृद्धि दिनांक 01.04.2007 से की जाये।

(2) प्रत्येक तीन वर्ष क बाद जलमूल्य में की गयी तीन बार की वृद्धि के पश्चात प्रत्येक तीन वर्ष के बाद जलमूल्य में की गयी तीन बार की वृद्धि के पश्चात जलमूल्य में अगले 10 वर्षो तक कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।

.....2 / –

3– उक्त शासनादेश संख्या1080/नौ–2–98–57 (106)/91, दिनांक 29.09.98 में किये गये शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

उपरोक्त पुनरीक्षित आदेशों का समस्त आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

अमल कुमार वर्मा
(प्रमुख सचिव)

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवशयक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम लाल तिवारी)
विशेष सचिव।

महत्वपूर्ण
संख्या–1080/9–2–98–57(106)/91

प्रेषक,

जे0एस0 मिश्रा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, उ0प्र0।
2. समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–2, लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर 1998

विषय :– **जल सम्पूर्ति में निहित व्यय में उत्तरोक्त वृद्धि के दृष्टिगत जलमूल्यों के निर्धारण विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1810/9–2–96–57 (21)/96, दिनांक 8 जनवरी, 1997 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा गम्भीरता पूर्वक विचार करने के पश्चात् उक्त नागर स्थानीय निकायों को यह परामर्श देना अपरिहार्य है कि उनके द्वारा जलमूल्य में जल सम्पूर्ति में निहित हो रहे व्यय को दृटि में रखते हुये आवश्यकतानुसार वृद्धि की जाये और ऐसी दरों को सुसंगत नियंत्रक अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार उपविधि नियमावली अथवा अधिसूचना में संशोधन करते हुए प्रवृत्त किया जाये।

इस दृष्टिकोण से शासन का यह मत है कि उक्त शासनादेश द्वारा केवल नगरों (लखनउ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी) में घरेलू उपयोग के लिये निर्धारित न्यूनतम 75/– प्रतिमाह की जलमूल्य की दर को संशोधित करते हुए, जलमूल्य ऐंसे आवासीय भवन, जिनका वार्षिक रेन्टल वैलूएशन 360/– तक है, के लिये 40/– रू0 प्रतिमाह एवं ऐसे आवासीय भवन जिनका वार्षिक रेन्टल वैलूएशन रू0 361/– से 2000/– तक है, के लिए 75/– प्रतिमाह कर दिया जाये। आवासीय भवन, जिनका वार्षिक रेन्टल वैलुवेशन 2000/–से अधिक होगा से लिए जलमूल्य रू0 75/– प्रतिमाह अथवा इस शासनादेश के पेरा–3 में वर्णित जलमूल्य की दरों के आधार पर उतना ही जल मूल्यों जो भी अधिक होगा, के अनुसार निर्धारित कर दिया जाये।

.....2

3. कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, तथा लखनउ में घरेलू उपयोग क उपभोक्ताओं से पूर्व निर्धारित जलमूल्य के स्थान पर क्रमशः 3.25 रू0, 3.50 रू0, 3.00 रू0, 2.50 रू0 तथा 2.50 रू0 प्रति किलोलीटर की दर से जलमूल्य की वसूली की जाये। इसके केवल अपवाद ऐसे घरेलू उपयोग के उपभोक्ता होंगे जिनके आवासीय भवन का वार्षिक रेन्टल वेलुवेशन रू0 2000/– तक है।
4. अघरेलू उपयोग की वर्तमान जलमूल्य की दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाये।
5. प्रत्येक वर्ष जल के उत्पादन की मूल्य वृद्धि को देखते हुये 1.1.99 के उपरोक्त प्रत्येक वर्ष जलमूल्य में 7.50 प्रतिशत के वृद्धि की जाये। इस प्रकार पहली वृद्धि 1.1.2000 को की जायें
6. अतएव अनुरोध है कि शासन में उक्त परामर्श पर आवश्यक कार्यवाही करें और कृत कार्यवाही से शासन को भी यथासमय अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

जे0एस0 मिश्र,
सचिव।

पृ0सं0 1080 (1)/9–2–98– तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय, निकाय, उ0प्र0।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(राजीव कुमार)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार
नगर विकास अनुभाग–2
संख्याः 972/नौ–2–2003/57(5)/2000
लखनउः दिनांक 9 अप्रैल 2003

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन 1975) की धारा 52 की उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या–2969/9–2–86–3(15)डब्लू.एस.आर./86, दिनांक 31 मार्च, 1988 का आंशिक रूपान्तर करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश जल निगम की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात घोषणा करते हैं कि जल संस्थान, आगरा इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) में उल्लिखित परिसरों के निर्धारित वार्षिक मूल्य के 12.5 प्रतिशत की दर पर जलकर उद्‌गृहीत करेगा।

आज्ञा से,

(राकेश गर्ग)
सचिव।

संख्या–972 (1) नौ–2–200, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि अंग्रजी रूपांतर सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट,उ0प्र0 के विधायी परिशिष्ट भाग–4 खण्ड (ख) के दिनांक 9 अप्रैल 2003 के अंक में प्रकाशित कराने तथा मुद्रित अधिसूचना की 150 प्रतियां शासन को तत्काल कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(चन्द्र प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव,

संख्या–972(1) नौ–2–2003, तद्‌दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल, आगर।
2. जिलाधिकारी आगरा।
3. निदेशक स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
5. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, आगरा।
6. प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0
7.
8.
9. नगर विकास विभाग शाखा के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(चन्द्र प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव,